रंजीतसिंह न्यायमूर्ति के समक्ष

जगदीश और अन्य *याचिकाकर्ता-*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य *प्रतिवादी* -

7178 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2009

,अगस्त 312010

भारत का संविधान ,1950226 अनुच्छेद--हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम ,2003नियम152 (1) &(2) - सहायता प्राप्त स्कूलों के विरुद्ध जांच समिति द्वारा अधिक शुल्क और दान वसूलने का आरोप लगाया गया - फीस निकालने के लिए छात्र की पिटाई के संबंध में गंभीर आरोप भी -साबित हुए^राज्य द्वारा स्कूल के लिए एसडीएम को प्रशासक के रूप में नियुक्त करनापुलिस अधीक्षक - को शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करने और छात्र को पिटाई देने के लिए जिम्मेदार प्रतिवादियों की साजिश और मिलीभगत के पहलू की जांच करने का निर्देश दिया गया ताकि वे शुल्क निकाल सकेंराज्य को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश द -िया गया प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की तारीख का खुलासास्कूलों के प्रबंधन और आपराधिक मामले की जांच के परिणाम हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालयने कहा कि *इस न्यायालय* ने शुल्क निकालने के लिए छात्र की पिटाई के संबंध में एक गंभीर आरोप पाया। हालांकि इससे इनकार किया गया थालेकिन छात्र इस तथ्य की पुष्टि , करने के लिए इस अदालत के समक्ष आया था। आरोपों को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह समळा में नहीं आता है कि इसने

प्रबंधन सहित जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई को कैसे आकर्षित नहीं किया हैजो कि शिक्षक के साथ मिलीभगत प्रतीत होता , है कि उसने उसछात्र की पिटाई की ,जिसने चोट पहुंचाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उक्त शिक्षक ने स्कूल छोड़ दिया है। प्रतिवादीप्रबंध-न और स्कूल दावा करेंगे कि इस घटना के कारण शिक्षक को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। परंतुऐसा प्रतीत नहीं होता है। किसी भी मामले में , इसकी जांच करने की आवश्यकता होगी। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या शिक्षक ने छात्र को फीस देने के लिए कहने के लिए खुद ही पिटाई की थी या यह स्कूलप्रिंसिपल और प्रबंधन के हुक्म पर था। उन्हें इस , उद्देश्य के लिए बुलाया जाना चाहिए और उन्हेंएक गणना योग्य बनाया वह भी बढ़ी हुई फीस निकालने ,जाना चाहिए। चूंकि किसी छात्र की पिटाई इसलिए खुलासा करने के ,हल्के में नहीं लिया जा सकता है ,के लिए अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

)18 पैरा(

संजीवबंसल अधिवक्तायाचिकाकर्ताओंकी ओर से।

हरीश राठी सीनियर ,हरियाणा DAG राज्य की ओर से

पुनीत बाली ने अधिवक्ताप्रतिवादीसंख्या के लिए। 9 से 6

SINGH RANJIT, J.

(1) यह स्कूल जो राष्ट्र के युवाओं को तैयार करने के लिए ,एक नर्सरी हैशिक्षा संहिता का भी उल्लंघन करते हुए और छात्रों से ,

अत्यधिक शुल्क निकालने और राष्ट्रों को करने के लिए विचित्र तरीके /उच्च जो बहुत अच्छे नहीं हैं। याचिका कई ,अपनाते हुए दिखाई देता है अभिभावकों द्वारा दायर की गई हैजिन्होंने इस शिकायत के साथ इस , अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा चलाए जा जिसके लिए ,स्कूल उच्च शुल्क लेकर धोखाधड़ी कर रहे हैं-रहे प्रतिवादी कोई भुगतान भी नहींकिया जा रहा है। इस प्रकार वसूले गए उच्च शुल्क को रसीदों को दर्शाते हुए जबरन निकाले गए दान के रूप में दिखाया जा रहा है। अधिकारियों को की गई अपनी शिकायतों में विफल होने के बाद , याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(2) रिट याचिका में पेश की गई स्थिति को देखते हुएइस , न्यायालय ने प्रस्ताव की सूचना जारी करते हुए ,स्कूल शिक्षा महानिदेशक , स्कूलों के आचरण और मामलों की जांच करने और -हरियाणा को प्रतिवादी अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए ऑडिट विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया गया था , एस चूल -नरवाना को निर्देश जारी किए गए थे कि वे प्रतिवादी ,एसडीएम जिसमें ,से संबंधित दस्तावेजों को हिरासत में लें। तदनुसार जांच की गई स्कूलों द्वारा किए जा रहे विभिन्न उल्लंघनों का खुलासा हुआ।-प्रतिवादी

(3) जांच रिपोर्ट जूनमें रिकार्ड में रखी गई थी जिसमें न 2009 ,

केवल प्रबंध समिति द्वारा कुप्रबंधन का खुलासा किया गया था बल्कि याचिका में लगाए गए आरोपों का भी पता चला था कि छात्रों से डोनेशन और विकास प्रभार वसूले जा रहे थे। जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूलनरवाना के प्रधानाचार्य और प्रबंधक द्वारा , स्वीकृत कर्मचारियों आदि को -इस तथ्य को स्वीकार किया गया था किगैर वेतन का भुगतान करने के लिए छात्रों सेडोनेशन और विकास शुल्क एकत्र किया जा रहा था। सोसायटी द्वारा संचालित द्वितीय विद्यालय अइया कन्या महा विद्यालय ,नरवाना में भी यही स्थिति थी। 7 प्रतिवादी संख्या))।

(4) जैसेअजीब और चौंकाने वाली स्थिति ,जैसे सुनवाईआगे बढ़ी- ' सामने आने लगी। याचिकाकर्ताओं नेछात्रको शुल्क के लिए गंभीर ताड़ना' शीर्षकके साथ समाचार आइटम को रिकॉर्ड पर रखा। समाचार में एक छात्र का फोटोग्राफ था जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। समाचार से पता चला कि छात्र को एक शिक्षक द्वारा फीस की वसूली के लिए कड़ी पिटाई की गई थी और छात्र की आंख पर चोट लगी थी। वीं 11 जिसे ,साल थी 19 जिसकी उम्र ,क्लास के छात्र का नाम गुलशन था अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। खबर के मुताबिकसुबह स्कूल में , जिसे रकम ,रुपये की मांग की 966 टीचर सुरिंदर पुनिया ने गुलशन से नहीं मिली थी। उक्त सुरिंदर पुनिया ने छात्र को पीटना शुरू कर दिया , जब छात्र की आंख से खून बहने लगा। छात्र के चेहरे पर चोट आई है और उसे इलाज के लिए जनरल अस्पताल ले जाया गया।

(5) इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए और उत्तर पर विचार करने

के बाद ,जुलाई 14 न्यायालय ने ,2010 को पूरे मुद्दे का गंभीरता से संज्ञान लिया। इस संबंध में कोई और निर्देश जारी करने से पहलेअदालत , नेआरोप के बारे में खुद कोआश्वस्त करने के लिए रेड प्रॉसिक्यूट को उचित माना था और तदनुसार छात्र को उसके सामने पेश होने के लिए बुलाया था। ,जुलाई 142010 को पारित आदेश इस प्रकार है-

(6).. इस बीचयाचिकाकर्ताओं ने कुछ और शिकायतें उठाई हैं जैसे , छात्रों कोजो दान का भुगतान नहीं कर रहे हैं आदि को रोल नंबर जारी न करके अन्य साधनों को अपनाकर परेशान किया गया था। यहां तक कि छात्रों की पिटाई का आरोप भी लगाया गया है और इस संबंध में मेरा ध्यान याचिका के साथ संलग्न अनुबंध पी-8 की ओर आकर्षित किया गया है। यह समाचार है जिसका शीर्षक है **छात्रों को शुल्क के लिए बुरी तरह पीटा जाता है।** याचिकाकर्ताओं ने मेरा ध्यान दिनांक ,सितंबर 16 2009 के आदेश की ओर भी आकर्षित किया है जिसके तहत प्रतिवादीस्कूलों को निर्देश दिया गया था कि वे किसी भी - छात्र को अनुमत शिक्षण शुल्क के अलावा किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर न करें। याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसारयह प्रथा अभी भी बंद नहीं हुई है। ,

हालांकिस्कूलों के वकील न केवल इनकार करते हैं -प्रतिवादी , बल्कि एक वचन देते हैं कि कोई दान आदि नहीं लिया जा रहा है या चार्ज नहीं किया जाएगा। आगे निवेदन यह है कि

किसी को दान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है , लेकिन कुछ लोग स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं। पेश की गई दलीलें बल्कि खतरनाक हैं। यह अत्यधिक है

आपत्तिजनकअगर पढ़ाई के लिए स्कूल जाने वाले छात्र को , दान न देने पर पिटाई की जाती है। यह अत्यधिक अवैध होगा और इसे स्वीकार या अनुमति नहीं दीजा सकती है।

इस मामले पर कार्यवाही करने अथवा इस पहलू की जांच करने के लिए राज्य को कोई निदेश जारी करने से पहलेमैं इस संबंध , में स्वयं को आश्वस्त करना चाहूंगा और यह देखना चाहूंगा कि क्या आरोप किसी भी तरीके से सिद्ध हो सकता है। आर्य स्कूल में अध्ययनर ,तदनुसारत लगभग वर्षीय 19 को निर्देश जारी किए जाते हैं कि ,पुत्र श्री सूरज भान ,गुलशन वे इस बात की पुष्टि करने के लिए अदालत में उपस्थित हों कि वर्तमान याचिका में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं। राज्य के लिए यह स्वीकार्य और उचित होगा कि वह छात्र को अपनी व्यवस्था और व्यय के अधीन लाए।

,जुलाई 212010 तक के लिए स्थगित किया गया।

(6) सूरजभान का पुत्र गुलशन ,जुलाई 212010 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और उसकी पहचान उसी छात्र के रूप में की गई जिसकाफोटो समाचार पत्र में छपा था। छात्र ने अदालत के समक्ष स्पष्ट

शब्दों में कहा कि उसे फीस के संबंध में एक शिक्षक सुरिंदर पुनिया ने पीटा था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उक्त शिक्षक स्कूल छोड़कर चले गए थे। उस स्तर पर न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या को 10 से 6 व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी करना उचित समझा। याचिकाकर ,इसके साथ ही्ताओं के वकील ने बताया था कि प्रत्येक दिन पहले मिनट स्कूल 30 द्वारा शुल्क एकत्र करने के लिए समर्पित थे और उसकेबाद ही पढ़ाई शुरू हुई। इस स्थिति को देखते हुएन्यायालय ने , तक स्कूल के मामलों का 10 से 6 निर्देश जारी किया कि प्रतिवादी संख्या प्रबंधन तुरंत बंदकर देगा । राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि स्कूल के मामलों को देखने के लिए प्रशासक को 24 राज्य को दो दिनों के भीतर ,घंटे में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा अनुपालन रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया था। आदेश का ऑपरेटिव हिस्सा नीचे पुन-:प्रस्तुत किया गया है :

> "14 जुलाई ,2010 को इस अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसारश्री सूरजभान का पुत्र गुलशन अदालत के समक्ष , अनुलग्नक ,उपस्थित है। यह वही व्यक्ति है जिसे समाचार पत्र -पी8 में दिखाया गया हैजिसमें उसकी तस्वीर भी है। , गुलशनने पुष्टि की कि उसे पीटा गया था और अखबार में दिखाई देने वाली तस्वीरउसकी है। वह अदालत के समक्ष यह भी कहता है कि शुल्क के मुद्दे के संबंध में उसे पीटा गया था। कब

पूछताछ करने परउसने आगे खुलासा किया कि पिटाई उसे , जो अब स्कूल ,सुरिंदर पुनिया ने दी थी छोड़ चुका है। यह स्थिति अस्वीकार्य है और इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

स्कूल के प्रिंसिपल के साथको 10 से 6 साथ प्रतिवादी नंबर- अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जाए। उक्त प्रतिवादियों को इस न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रतिपादित करने वाले वकील द्वारा सूचित किया जाएगा औरयदि किसी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व वकील द्वारा नहीं किया जाता हैतो राज्य उक्त प्रतिवादी को नोटिस की , श्री संजीव बंसल आगे ,तामील सुनिश्चित करेगा। इस स्तर पर प्रत्येक दिन पहल ,बताते हैं कि उनकी जानकारी के अनुसारे मिनट शुल्क एकत्र करने के लिए समर्पित होते हैं और 30 उसके बाद स्कूल में अध्ययन शुरू होता है। जांच का परिणाम पहले से ही रिकॉर्ड में है।

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवादी संख्या स्कूल के 10 से 6 मामलों का प्रबंधन तुरंत बंद कर दें । राज्य यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्कूल के मामलों को देखने के लिए 24 घंटे के भीतर प्रशासक नियुक्त किया जाए। अनुपालन रिपोर्ट दो दिनों के भीतर दी जानी चाहिए।

(7) प्रतिवादी ,जुलाई 21 स्कूल और प्रबंधन ने न्यायालय द्वारा-2010 को जारी किए गए उपर्युक्त अंतरिम निदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील दायर की। हालांकि ,जुलाई 23 एलपीए को ,2010 को निपटा दिया गया था और प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को ,जुलाई 282010 तक स्थगित करने का निर्देश दिया गया थाजो याचिका की आगे की सुनवाई , में पारित .ए.पी.के लिए अदालत के समक्ष तय की गई तारीख थी। एल जिस ,आदेशे अब रिकॉर्ड पर रखा गया है-:निम्नानुसार है ,

> नोटिस में कहा गया हैइस अपील का उल्लेख किया गया और ' , .आज भोजनावकाश से पहले इसे स्वीकार किया गया ,जुलाई 14 अपीलकर्ता को2010 के आदेश को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जिसे प्रस्तुत किया गया था और दोपहर के भोजन के बाद इसका अवलोकन किया गया था।
>
> आक्षेपित आदेश के संबंध में इस अपील में अपीलकर्ता की शिकायत प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा है कि अपील के अनुलग्नक A-A से 2-,को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष नहीं रखा गया था 4 जो मामले से संबंधित हैं।

पक्षकारों के लिए विद्वान समिति को सुनने के बादहमा ,रा विचार है कि चूंकि विद्वान एकल न्यायाधीशने मामले को जब्त कर लिया हैइसलिए यह उचित और उचित होगा कि प्रशासक , की नियुक्ति की सीमा तक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को ,जुलाई 282010 तक के लिए स्थगित कर दिया जाए-बशर्ते कि अनुबंध ए ,2 से ए-4 के समक्ष रखे जाने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए जाने वाले आगे के आदेश एकल न्यायाधीश को सीखा।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री बाली कहते हैं कि सिविल मिश्रितआवेदनका जवाब याचिकाकर्ताओं कीओर से पेश वकील को एक अग्रिम प्रति के साथ सुनवाई की अगली तारीख से पहले आवेदन दाखिल किया जाएगा।

इस आदेश की एक प्रति बेंच सचिव के हस्ताक्षर के तहत अपीलकर्ता के विद्वान वकील को दी जाए। उपरोक्त निर्देशों के साथअपील का निपटारा किया जाता है। ,

(8) लेटर्स पेटेंट अपील की प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। हालांकिपार्टियों का प्रतिन ,िधित्व करने वाले वकील ने एलमें .ए.पी. दलील देने वाले आधारों के संबंध में आरोप और प्रतिआरोप लगाए कि अपीलकर्ताओंद्वारा एलपीए बेंच को गुमराह करने का प्रतिवादी प्रयास किया गया था।

(9) जब यह मामला ,जुलाई 282010 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आयातो प्रतिव ,ादी-विद्यालयऔर प्रबंधन का प्रतिनिधित्व एक अन्य वकील द्वारा किया गयाजो पहले उनकी ओर से , उपस्थित नहीं हुए थे। निजी प्रतिवादियों के वकील ने विभिन्न दस्तावेजों उक्त दस्तावेजों ,जो रिकॉर्ड में नहीं थे। उनके अनुरोध पर ,का संदर्भ दिया को रिकॉर्ड पर रखने में सक्षम होने के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया।

(10) इस प्रकारR अनुलग्नक ,-R से 13-के रूप में अतिरिक्त 20 से 6 दस्तावेजों को मामले के रिकॉर्ड में रखा गया है और प्रतिवादी संख्या की ओर से जवाब भी दिया गया है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 10 होने का निर्देश दिया गया था।

(11) याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त दस्तावेज-अनुलग्नक पी ,11 से पी-13 भी दाखिल किए हैं। दोनों वकीलों को सुना जाता है ।

(12) प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि सूरज भान के बेटे गुलशन उसके द्वारा पहले दिए गए संस्करण के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं कि उसे शुल्कदान आदि के भुगतान के संबंध में पिटाई दी / गई थी।

यह दावा इस न्यायालय के समक्ष की गई कार्यवाही के विपरीत हैजिसमें , जब उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने के ,छात्र का बयान दर्ज किया गया था लिए बुलाया गया था। न्यायिक रिकॉर्ड के खिलाफ कोई सबमिशन स्वीकार

नहीं किया जा सकता है। वकील जाहिरा तौर पर चौधरी के भाई द्वारा दिए गए हलफनामे पर भरोसा कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीस्कूल और - प्रबंधन ने छात्र या उसके भाई से संपर्क किया है और इसलिए हलफनामा रिकॉर्ड पर आया है। इस हलफनामे का कोई मतलब नहीं हो सकता है और यह दिखाने के अलावा किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं होगा कि यह प्रबंधन की ओर से छात्र को जीतने या अन्यथा उसे नरम करने के लिए लुभाने का प्रयास था। उत्तरदाताओं की ओर से इस तरह का आचरण प्रशंसा के लायक नहीं है। छात्र के बड़े भाई से एक शपथ पत्र प्राप्त किया जाता है और रिकॉर्ड पर रखा जाता हैजिसमेंउसने गवाही दी है कि उसके , भाई गुलशन ने जल्दबाजी में और गलतफहमी के कारण शिकायत की थी। हलफनामे में यह उल्लेख किया गया है कि उनके भाई को लगी चोटें फीस के भुगतान के संबंध में नहीं थीं और उनके पासस्कूलके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। जाहिर हैयह एक खरीदा गया दस्तावेज है। ,

स्कूल-प्रतिवादीप्रबंधन को यह हलफनामा कैसे मिला हैइसका खुलासा , नहीं किया गया है। छात्र का भाई यह शपथ पत्र देने के लिए आगे क्यों किसी भी ?आएगा स्थिति में यह हलफनामा ,निरर्थक हो सकता है क्योंकि जिस छात्र को चोट लगी थीवह अपना पक्ष दर्ज करने के लिए अदालत , के समक्ष उपस्थित हुआ था और उसका भाई इसका खंडन करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वह उस समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था जब घटना हुई थी। यह छात्र का संस्करण है जो प्रासंगिक और सामग्री होगा। प्रबंधन की ओर से यह कार्य निश्चित रूप से न्यायालय तक पहुंचने का एक प्रयास है और इसे न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के रूप में लिया

जाना चाहिए जिसके लिए उन्हेंजवाबदेह बनाया जा सकता है। इसे नजरअंदाज करते हुए अब मामले के अन्य पहलुओं पर विचार किया जा सकता है।

(13) याचिकाकर्ताअब रिकॉर्ड पर रखे गए अतिरिक्त दस्तावेजों के , आग्रह ,समर्थन परकरेंगे कि स्कूलों और प्रबंधनप्रतिवादी ने न केवल इस - ,न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया थाबल्कि लेटर्स पेटेंट बेंच के समक्ष भ्रामक जानकारी रखकर खुद को गलत तरीके से पेश किया है। उन दस्तावेजों का संदर्भ दिया जाता हैजिन्हें प्रतिवादियों द्वारा एलपीए के , साथ रखा गया था। यानी अनुलग्नक A-A से l- । इन दस्तावेजों5 A अनुलग्नक)-A से I-5) के बल पर L.P. A. बेंच के समक्ष यह दलील दी गई थी कि प्रतिवादियों को कारण बताओ नोटिस जारी (अपीलकर्ताओं) किया गया था कि स्कूल के प्रबंधन को क्यों नहीं लिया जाए और प्रशासक नियुक्त किया जाए। प्रतिवादीप्रबंधन नेजवाब दाखिल किया था-

उक्त कारण बताओ नोटिस के लिए। कथन के अनुसारउत्तर पर विचार , करने के बाद इस कारण बताओ नोटिस को वापस ले लिया गया था। इस एलपीए में यह दलील दी गई थी कि प्रशासक को नियुक्त करने ,आधार पर के लिए कठोर कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थीजैसा कि इस , न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था और इसे एलपीए में लगाए गए आदेश के हमले के मुख्य मुद्दे के रूप में पेश किया गया था।

(14) संक्षेप मेंये प्रतिवादियों के लिए उपस्थित वकील द्वारा इस , ,न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुतियों की पंक्तियाँ थीं। इसके विपरीत स्कूलों और प्रबंधन -याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने इस तथ्य को छुपाया था कि प्रशासक की नियुक्ति के लिए जारी किए गए और ऊपर संदर्भित कारण बताओ नोटिस को उनके द्वारा सिविल रिट याचिका 12252 के संख्या 2010के माध्यम से चुनौती दी गई थी। । इस रिट याचिका को ,जुलाई 142010 को खारिज कर दिया गया था और इस संबंध में आदेश अनुबंध पी-12 के रूप में दिया गया है। यह बताया गया है कि प्रतिवादी प्रबंधन और स्कूलों की ओर से पेश होने वाले वकीलने इस मामले को रद्द करने के लिए अपनी चाय की लेंज छोड़ दी थी। यह इस ,जुलाई 14 न्यायालय द्वारा पारित दिनांक2010 के आदेश में दर्ज किया गया है और उसका संगत भाग निम्नानुसार है -

> जांच रिपोर्ट या कारण" बताओ नोटिस या जुर्माना आदि को रद्द करने के संबंध में जारी किया गया कोई भी निर्देशइस न्यायालय द्वारा में पारित 7178 के सीडब्ल्यूपी संख्या 2009 इस प्रार्थना ,आदेश के साथ प्रत्यक्ष कार्रवाई होगी। तदनुसार

,पर विचार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रार्थना के इस हिस्से को छोड़ दिया। हालांकिउन्होंने , राज्य को शेष स्कूलों के संबंध में पूरी तरह से जांच करने का निर्देश देने के लिए अपनी शिकायत पर जोर दियाजो समान पाठ्यक्रम को अपना रहे हैं और , ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को धोखा दे रहे हैं। पहली बार याचिकाकर्ताओं के लिए यह उचित होगा कि वे ऐसी जांच करने के लिए राज्य के समक्ष या निदेशक स्कूल शिक्षा बोर्ड जैसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मांग के रूप में अभ्यावेदन दायर करें। जाहिर हैराज्य में बड़ी संख्या में स्कूल हैं और , याचिकाकर्ताओं के लिए यह उचित होगा कि वे उन स्कूलों को इंगित करें जहां कोई भी उल्लंघन हो रहा हैजैसा कि , स्कूलों में पाया जाता है। यदि ऐसी मांग पर -याचिकाकर्ताओं यदि ऐसी मांग उठाई जाती ,कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे उसके बाद कोई उचित कार्यवाही करने के लिए ,है स्वतंत्र होंगे।

खारिज कर दिया।

(15) इस प्रकारयाचिकाकर्ताओं के वकील का यह कहना उचित है , कि इस तथ्य को रिकॉर्ड पर न रखकर एलपीए बेंच को गुमराह करने का प्रयास किया गया था और इसी तरह इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रबंधन और स्कूलों द्वारा कारण बताओ नोटिस क-भी। एक बार प्रतिवादीो चुनौती दिए जाने के बादएलपीए बेंच के समक्ष आग्रह करना उनके मुंह ,

में नहीं पड़ा कि प्रशासक की नियुक्ति की मांग करने वाले कारण बताओ प्रबंधन और स्कूलों द्वारा दायर उत्तर के कारण वापस ले -दंगे को प्रतिवादी लिया गया था। जांच के अनुसार कार्रवाई इस न्यायालय द्वारा जारी एक निर्देश के कारण हुई थी और इस तरहकारण बताओ नोटिस के संबंध में , पारित कोई भी आदेश निश्चित रूप से इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश के साथ सीधे संघर्ष में होगा ।

(16) इसके बाद आधिकारिक प्रतिवादियों द्वारा जारी किए गए 3 ,जुलाई2010 के एक पत्र का संदर्भ दिया गया हैजिसे एलपीए बेंच के , जिला शिक्षा ,ध्यान में भी नहीं लाया गया था। इस पत्र के माध्यम से जींद कोआधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा की गई जांच के समय ,अधिकारी पाई गई अनियमितताओं के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इस पत्र की प्रतिि अब अनुबंध पी-13 के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई है। यह पत्र ,मई 252010 के पत्र के अनुक्रम में है जिसे एलपीए के साथ अनुबंध ए-4 के पास रखा गया है। इससे याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि प्रशासक की नियुक्ति के आदेश को वापस ले लिया गया है ताकि प्रबंध समिति दो महीने के भीतर चुनाव करा सके। इसका किसी भी तरह से मतलब यह नहीं था कि जांच केदौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं और कदाचार से संबंधित प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया है। पत्र-अनुबंध पी ,13निजी प्रतिवादियों की जानकारी में , क्योंकि इसका उल्लेख ए ,बताया गया थाक अन्य रिट याचिका में किया गया था , जहां चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी और जिसे खारिज भी

कर दिया गया था और जिसके खिलाफनिजी प्रतिवादियों ने एलपीए , उत्तरदाताओं की ओर से या तो न्यायालय को ,दायर किया था। इस प्रकार गुमराह करने का एक सूक्ष्म प्रयास स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जो उन हाथों से न्यायालय से संपर्क करने का प्रयास है जो साफ नहीं हैं। इस प्रकारनिजी उत्तरदाताओं को केवल इस आधार पर किसी भी राहत से , वंचित किया जा सकता है।

(17) यह देखा गया है कि इस मामले में अदालत ने याचिका में लगाए गए आरोप का आश्वासन देकर काम किया है। सबसे पहले , न्यायालय ने एक स्वतंत्र अधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया था और गंभीर अनियमितताओं का पता चलने पर ही आगे की कार्रवाई की गई। प्रबंध समिति द्वारा न केवल गड़बड़ी का पता चला

लेकिन अधिक शुल्क और दान आदि वसूलने के आरोप भी साबित होते पाए गए। जांच करने वाली जांच समिति के समक्ष की गई स्वीकारोक्तियों के आधार पर समिति ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला था -

-यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पी ,रिकॉर्ड के अवलोकन पर"5
में संलग्न दान रसीदें और पी-6 में संलग्न प्रवेश शुल्क रसीदें ,
2009 की सिविल रिट याचिका संख्या के साथ संलग्न 7178
वास्तव में संबंधित स्कूल के स्कूल प्रबंधन द्वारा जारी की ,हैं
गई हैं और इस प्रकार छात्रों और छात्रों के मातापिता से -
अत्यधिक और नाजायज दान वसूला गया है। आर्य सीनियर
12 नरवाना द्वारा फीस की केवल ,सैकेंडरी स्कूल रसीदें और
दान की रसीदें जारी की गई हैं। प्राप्तियों की बारीकी से 12
तुलना और जांच से यह स्पष्ट है कि शुल्क के रूप में जारी
की गई रसीदें वैध प्रभारों के अनुसार हैंलेकिन साथ ही ,
दान के बहाने अत्यधिक शुल्क की रसीदें उन्हीं /विकास प्रभार
छात्रों या छात्रों के मातापिता को जारी की गई हैं। इसी तरह-
आर्य कन्या महाविद्यालय 30 नरवाना के स्कूल प्रबंधन द्वारा ,
फ़ीसरसीदें और लगभग डोनेशन रसीदें भी जारी की गई 64
लेकिन दोनों संस्थानों के छात्रों से दान के रूप में अतिरिक्त ,हैं
फीस वसूल की गई है। स्कूल प्रबंधनों द्वारा यह भी स्वीकार
किया गया है कि शुल्क और दान की रसीदें केवल
छात्रोंअभिभावकों की मांग पर जारी की जाती हैं और /

कंप्यूटर लैब जैसे अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए अस्वीकृत स्टाफ़ के वेतन के खर्च को पूरा करने के लिए सभी छात्रों से दान और विकास शुल्क सामान्यत एकत्र किए गए हैं। (ग) रखाव और -भवन के रख ,वाटर कूलर ,सरकार ने जनरेटर 25 स्वीकृत स्टाफ के वेतन के% प्रबंधन हिस्से का भुगतान करने के लिए करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यहां 1000 यह उल्लेख किया गया है कि दान के बहाने अत्यधिक शुल्क वसूलना हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 ,के नियम 152 ((1और)2प्रस्तुत :जिसे निम्नानुसार पुन ,का उल्लंघन है (किया जाता है

152(1) कोई भी सहायता प्राप्त स्कूल किसी छात्र या किसी छात्र के मातापिता या अभिभावक से अनिवार्य रूप से - कोई दान उद्ग्रहण या एकत्र नहीं करेगा।

)2कोई भी सहायता प्राप्त विद्यालयअपने विद्यार्थियों के (
माध्यम सेशिक्षकों की सहायता के लिए या शिक्षकों की सहायता के लिए किसी निधि के लिए कोई शिक्षा एकत्र नहीं करेगा।

कुछ याचिकाकर्ताओं और क्षेत्र के कुछ स्थानीय निवासियों ने जांच समिति के समक्ष कहा है कि स्कूल प्रबंधन अपने बच्चों से दान के बहाने अधिक शुल्क ले रहा है और उन्होंने स्वेच्छा से दान का भुगतान नहीं किया है। इसलिए उपलब्ध प्रासंगिक रिकॉर्ड को देखने के बादसमिति का विचार है ,
की सिविल रिट याचिका 2009 कि याचिकाकर्ताओं द्वारा में की गई प्रस्तुतियाँ 7178 संख्या और अत्यधिक शुल्क लेने के संबंध में छात्रों के कुछ मातापिता- की सहमति रिकॉर्ड के आधार पर साबित होती है और यह एक स्वीकृत तथ्य है कि स्कूल प्रबंधन छात्रों से दान आदि के बहाने अत्यधिक शुल्क वसूल रहे हैं और कोई उचित रसीदनहीं हैइस संबंध में छात्रों को पीटीएस जारी किए जा रहे हैं। यह भी साबित हो गया है कि दोनों स्कूलों की प्रबंध समिति का गठन उनकी सोसायटियों के अनुसार नहीं किया गया है और विभाग द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया है।

(18) इतना ही नहीं इस कोर्ट ने छात्र की पिटाई से फीस

निकालने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकिइसका खंडन किया गया , लेकिन छात्र उक्त तथ्य की पुष्टि करने ,था के लिए इस न्यायालय के समक्ष आया था। आरोपों को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह समळा में नहीं आता है कि इससे प्रबंधन सहित जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई कैसे नहीं की गई हैजो छात्र को , पीटने में शिक्षक के साथ मिलीभगत करने वाला प्रतीतहोता हैजिससे , छात्र को चोट लगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उक्त शिक्षक ने स्कूल छोड़ दिया है। इसघटना के कारण शिक्षक को छोड़ने के लिए ,मजबूर किया गया था। ऐसा प्रतीत नहीं होता है। किसी भी मामले में इसकी जांच करने की आवश्यकता होगी। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या शिक्षक ने छात्र को फीस देने के लिए कहने के लिए खुद ही पिटाई की थी या यह स्कूलप्रिंसिपल और प्रबंधन के हुक्म पर था। उन्हें ऐसे , उद्देश्य के लिए बुलाया जाना चाहिए और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। वह भी ,एक छात्र की पिटाई के बाद सेबढ़ी हुईफीस निकालने के लिए , यह तथ्यहल्के में नहीं लिया जा सकता है ,जांचअधिकारी अपराध को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

(19) उसी का संज्ञान लेते हुएजींद के पुलिस अधीक्षक को श्री , सुरिंदर पुनिया के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश जारी किया जो पहले हरियाणा में ,जाएगाविद्यालय में शिक्षक के रूप में काम कर

रहे थे। जांच अधिकारी प्रतिवादी संख्या की ओर से 10 से 8 और 6 साजिश और मिलीभगत के पहलू की जांच करेगा और उन्हें जवाबदेह ठहराएगाअगर यह पाया जाता है कि वे भी जागरूक थे और इस , छात्र को फीस निकालने के लिए पिटाई के लिए जिम्मेदार ,प्रकारथे। अपने दम परशिक्षक को शुल्क निकालने के उद्देश्य से किसी छात्र को , जब तक कि प्रबंधन ने उसे ऐसा ,पीटने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी प्रबंधन और स्कूल के -प्रतिवादी ,करने की इच्छा न की हो। तदनुसार प्रिंसिपल प्रतिक्रिया से बच नहीं सकतेहैं और उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सकता है। जांच अधिकारी मामले के इस पहलू को नजरअंदाज नहीं करेंगे।

(20) प्रतिवादियों ने ,जुलाई 232010 के एक आदेश को रिकॉर्ड में रखा था(सी) जिसमें एसडीएम ,, नरवाना (जींद) को तत्काल प्रभाव से एक वर्ष के लिए दोनों स्कूलों के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था।

(21) इस आदेश को लागू करने की पुष्टि करने के लिएराज्य के , वकील को यह पुष्टि करने के लिए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है कि प्रशासक ने आदेश के संदर्भ में पदभार संभाल लिया है और

यहअप्रभावी है। राज्य प्रशासक द्वारा दोनों स्कूलों के प्रबंधन को संभालने की तारीख का भी खुलासा करेगा। दर्ज किए जाने वाले आपराधिक मामले की जांच के परिणाम को आज से दो महीने की अवधि के भीतर इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

(22) जांच की आगे की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मामले को ,नवंबर 172010 तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

आर.आर.एन.

अस्वीकरण

:स्थानीयभाषामेंअनुवादितनिर्णयवादीकेसीमितउपयोगकेलिएहैताकिवहअपनीभाषामेंइसे समझसकेऔरकिसीअन्यउद्देश्यकेलिएइसकाउपयोगनहींकियाजासकताहै।सभीव्यवहारि कऔरआधिकारिकउद्देश्योंकेलिएनिर्णयकाअंग्रेजीसंस्करणप्रमाणिकहोगाऔरनिष्पादनऔ रकार्यान्वयनकेउद्देश्यकेलिएउपयुक्तरहेगा।

प्रिंसकुमार
प्रशिक्षुन्यायिकअधिकारी
कैथल,हरियाणा